रजिस्ट्री सं० डी(डी)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 1979/पौष 26, 1900
No. 34] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 1979/PAUSA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1979

का. आ. 36(अ)./18 च ख/उ. वि. वि. अ./79 .—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा 1 के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 39 (अ)/18 चख/उ.वि.वि.अ./77 तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि :—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) इन अनुकूलनों सहित कि उक्त अधिनियम की धारा 9क अध्याय 5क और 5ख और धारा 33ग का लोप किया जाएगा, मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड, कलकत्ता के स्वामित्वाधान में औद्योगिक उपक्रमों को लागू होगा, और

(ख) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी कंपनी पक्षकार है या जो यथास्थिति, उन औद्योगिक उपक्रमों या कंपनी को लागू होते हों, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन, प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं, और दायित्व निलम्बित रहेंगे,

और उक्त आदेश की अवधि को 21 जनवरी 1979 तक के लिए बढ़ा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को एक वर्ष के लिये और बढ़ाया जाना चाहिये,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अवधि को 21 जनवरी 1980 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. नं. 2 (19)/75-सी यू सी]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1979

S.O. 36(E)./18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 39 (E)/18FB/IDRA/77

dated the 22nd January, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that :—

(a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings owned by Messrs. Bengal Potteries Limited, Calcutta, with the adaptations that section 9A, Chapters VA and VB and section 33C of the said Act shall be omitted ; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings are parties, or the company owning such industrial undertakings is a party or which may be applicable to the industrial undertakings or the company as the case may be, and all or any of the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended ;

And whereas the duration of the said Order was extended upto the 21st January, 1979 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 21st January, 1980.

[File No. 2/19/75-CUC]

P. C. NAYAK, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054.